दिनांक—27.02.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया, फारबिसगंज एवं किशनगंज के साथ विभागीय योजनाओं के एकरारनामा, मरम्मति दल एवं स्टोर/भंडारण आदि हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:—

---

1. **MIS Mapping/Entry (Store/Material/Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/Land Availability etc.):-**

❖ समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमंडलों द्वारा MIS पर Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/Land Availability की प्रविष्टि में कई त्रुटियां हैं अथवा आंशिक प्रविष्टि की गयी है/साथ ही समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि मरम्मति दल/सुपरवाइजर से संबंधित मोबाइल नंबर काफी अधिक संख्या में गलत अपलोड किया गया है। जिसके कारण नियमानुकूल कार्रवाई/ससमय शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल स्तर से MIS पर प्रविष्टि का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है/ इस संबंध में खेद व्यक्त करते हुए सभी प्रमंडलों को सख्त निदेश दिया गया कि अगले दो दिनों के भीतर MIS पर त्रुटि रहित Mapping/Entry (वार्डवार/योजनावार) शत—प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ को मैंपिंग के कार्यों का अनुश्रवण कर समीक्षा करने हेतु निदेशित किया गया।

Supervisor Call Report :-

Sr. No	Division Name	Department	Total	Received Call	Wrong Number	Left	Not Contacted
1.	Araria	PHED	175	92	27	5	51
2.	Forbesganj	PHED	131	82	13	2	34
3.	Kishanganj	PHED	191	82	15	3	91

अनुपालनः—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया कि कई संवेदकों द्वारा एक ही मोबाइल नं0 से सुपरवाइजर का मैंपिंग कर विभिन्न पंचायतों का कार्य कराया जा रहा है जिससे लंबित शिकायतों का निस्तारण ससमय नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि त्रुटियों को सुधार करते हुए मैपिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्रातंर्गत योजनाओं में जमीन उपलब्धता संबंधी MIS पर पूर्ण रूप से प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसका अनुश्रवण संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया था कि संवेदकों द्वारा स्थापित स्टोर/भंडार का GPS Location अंकित करते हुए/फोटोग्राफ्स सहित एवं सभी सामग्रियों की अवयववार Inventory की MIS पर प्रविष्ट करेंगे और पंजी का संधारण करेंगे। परन्तु समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उक्त प्रमंडलों द्वारा सामग्रियों का अवयववार Inventory की MIS पर प्रविष्ट नहीं की गई हैं और यह भी पाया गया कि विभागीय दिशा निदेश के अनुरूप सामग्रियों का भंडारण नहीं किया गया है। सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि क्षेत्रातंर्गत संचालित योजनाओं के संवेदक अपने स्थापित भंडार गृह में निर्माण/मरम्मति एवं संपोषण कार्य में प्रयुक्त हो रहे सामग्रियों का एकरारनामा के कम से कम 10 प्रतिशत अनुपात में दो दिनों के अंदर संग्रह सुनिश्चित करेंगे एवं स्थल पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जनहित के लिए प्रदर्शित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

2. CGRC निष्पादनः—

❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल अररिया, फारबिसगंज एवं किशनगंज में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायतों का निष्पादन कराने में लापरवाही बरती जा रही है एवं विभागीय समय सीमा के अन्दर नहीं कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ज्ञात हुआ कि कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायत निराकरण में औसत से अत्याधिक समय लिया जा रहा है, जिस पर संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि एकरारनामा में निहित प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत कराएंगे। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि लंबित शिकायतों का अनुश्रवण करते हुए समय सीमा के अंदर निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया अंतर्गत अररिया में 30 दिनों से अधिक 36 लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, अररिया द्वारा बताया गया कि संबंधित संवेदक द्वारा कई स्थलों में क्षतिग्रस्त किए गए पाईप लाईन की मरम्मति एवं शिकायतों का निष्पादन ससमय नहीं किया गया जिसके कारण जलापूर्ति बाधित है। उक्त जवाब से यह प्रतीत हो रहा है कि संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा लंबित शिकायतों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। शिकायतों के निराकरण में बरती जा रही शिथिलता पर खेद व्यक्त करते हुए संबंधित अधीक्षण अभियंता, संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित सहायक अभियंता एवं संबंधित कनीय

अभियंता का अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त संवेदक द्वारा संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में एकरारनामा में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया। साथ ही उक्त शिकायतों का यथा शीघ्र निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—अभियंता प्रमुख सह—विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज अतंर्गत पंचायत—बलुआगंज एवं कलियागंज योजनाओं के उर्जा खपत शून्य पाया गया। जिससे प्रतीत होता है कि योजना क्रियाशील नहीं है, परंतु संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि योजना चालू है। संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि उर्जा खपत शून्य वाले संवेदको का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए शिकायतों का निराकरण करायेंगे एवं प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता।

3. विद्युत विपत्र की स्थिति :—

❖ विभागीय योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के सत्यापित बकाया राशि (दिनांक—01.09.2025 के आधार पर) के विरूद्ध भुगतान की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाया गया है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए सभी कार्यपालक अभियंताओं को विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान कराने का निदेश दिया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं करने वाले एजेंसी/संवेदकों के विरूद्ध एकरारनामा में प्रावधानित शर्तों के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। इस कार्य का अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाएगा।

अनुपालनः—संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ ElectricityConsumerMapped Summary of Civil (PHED) Report as on 27.02.2026:-

Sr. No	Division Name	Total Target (PHED Scheme)	Total Entry	Achievement In %
1.	Araria	1947	1845	94
2.	Kishanganj	2325	2278	97
3.	Forbesganj	1592	1547	97

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज, अररिया एवं फारबिसगंज को अगले तीन दिनों के अंदर अधीनस्थ सभी जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं का विभागीय MIS पर त्रुटि रहित Mapping कराने का निदेश दिया गया। इस कार्य में संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह—नोडल पदाधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ उक्त कार्य की प्रगति का दैनिक अनुश्रवण करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर MIS पर प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के भीतर त्रुटि रहित Mapping नहीं होने की स्थिति में अधीक्षण

अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी अन्यथा उन्हें भी दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

अनुपालनः—संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह—नोडल पदाधिकारी।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज, अररिया एवं फारबिसगंज से संबंधित सहायक अभियंता यांत्रिक सह—नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं का विभागीय MIS पर हो रहे Mapping कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए विद्यमान त्रुटियों को संबंधित कार्यपालक अभियंताओं के संज्ञान में लाते हुए अविलंब निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उनके द्वारा शून्य अथवा अत्यल्प विद्युत उर्जा खपत वाले उपभोक्ता संख्याओं की सूची संबंधित कार्यपालक अभियंता को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। शून्य अथवा अत्यल्प विद्युत उर्जा खपत वाले उपभोक्ता संख्याओं के मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा स्वयं स्थलीय जाँच कर योजनाओं की समुचित क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इस मामले में उनके द्वारा संबंधित एजेंसी / संवेदकों के विरूद्ध विभागीय SOP एवं एकरारनामा में प्रावधानित शर्तों के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य का अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ द्वारा पाक्षिक रूप से अनुश्रवण किया जाएगा।

अनुपालनः—संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह—नोडल पदाधिकारी।

❖ विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के सत्यापित बकाया राशि के विरूद्ध प्रतिवेदित भुगतान का अगले दो दिनों के अंदर अचूक रूप से विभागीय MIS पर साक्ष्य सहित त्रुटि रहित प्रविष्टि कराने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया। इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता अवांछनीय होगी।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह—नोडल पदाधिकारी।

❖ संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह—नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के सत्यापित बकाया राशि के विरूद्ध प्रतिवेदित भुगतान का विभागीय MIS पर प्रमंडलों द्वारा साक्ष्य सहित की जा रही प्रविष्टि की शुद्धता की जाँच नियमित रूप से करेंगे एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की स्थिति में सुधार हेतु मामले को संबंधित कार्यपालक अभियंता के संज्ञान में लाते हुए अविलंब सुधार कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी। संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह—नोडल पदाधिकारी द्वारा की जा रही कार्यों का अनुश्रवण अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ द्वारा किया जाएगा।

अनुपालनः—संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह—नोडल पदाधिकारी।

- ❖ संबंधित सभी कार्यपालक अभियंताओं एवं सहायक अभियंता यांत्रिक सह–नोडल पदाधिकारी को अगले दो दिनों के भीतर विहित प्रपत्र में स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी।

4. अन्यान्यः–

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया अंतर्गत संवेदक चंदन कुमार द्वारा एकरारनामा संख्या F2-7/18-19 एवं F2-8/18-19 में भुगतान नहीं होने की शिकायत की गई। पृच्छा के दौरान कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Fund Diversion होने के कारण संबंधित संवेदक को भुगतान नहीं हो पाया। इस क्रम में स्वीकृत्यादेश की राशि Exhaust हो चुकी है। उक्त के आलोक में मुख्यालय स्तर से टीम गठित कर इसकी समीक्षा करने का निदेश दिया गया। साथ ही स्वीकृत्यादेशवार आवंटन की गई राशि का विस्तृत रिपोर्ट अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय) को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0)

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दी गई।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांकः– 14/4/बैठक – 1020/24 - 326 दिनांक– 27/4/26

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/4/बैठक – 1020/24 – 326 दिनांक– 27/4/26

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

30

ज्ञापांकः– 14/बैठक –1020/24 – 326 दिनांक– 27/4/26

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक – 1020/24 – 326 दिनांक– 27/4/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)